आदेश, वाद सं. 37 ता. दायरा - 9/6/25

उलीचन्द बनाम राज. सरकार

वकील श्री ....गजेन्द्र नामा........ ने पेश किया।

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न हैं।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हेतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी। वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

13/6/25 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में रहने से पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।
आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

17/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/राज. उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/06/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24/6/25 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में रहने से पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो।
आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार 13/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। RPR रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी की तामील नहीं हुई है। पुनः तलबाने पेश करने पर तलबी जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य व्यस्त/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 15/9/25 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उप०। प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया प्रति अभिभाषक प्रार्थी को दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

No objection
पेशकार

7.10.25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी राजपैरोकार उप०। पत्रावली में संलग्न सभी दस्तावेजों अवलोकन किया गया। बाद गौरपूर्वक अवलोकन प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः—	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—	37 / 25
दायर दिनाँक :—	09.06.2025
निर्णय दिनाँकः—	07.10.2025
उनवान :—	दुलीचन्द एवं अन्य

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री गजेन्द्र नामा, अधिवक्ता प्रार्थीगण

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, वादीगण दुलीचन्द पुत्र किशनलाल, भंवरी बाई पुत्री किशनलाल, मोतीलाल पुत्र किशनलाल तथा लालचन्द पुत्र किशनलाल जाति लोधा निवासी ग्राम खुरी तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम खुरी की खाता संख्या नया 20 (पुराना 19) की खसरा संख्या 109, 110, 143, 159, 214, 215, 216, 217, 368 कुल किता 09 की 4.0145 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता का नाम ''किशना'' दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''किशनलाल'' है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि पिता के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थीगणों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें

मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थीगण ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम खुरी के उक्त खसरा नंबरों में पिता का नाम ''किशना'' के स्थान पर ''किशनलाल'' संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी, उक्त वाद में प्रार्थीगण के पिता का नाम '' किशना से किशनलाल '' किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम खुरी की खाता संख्या नया 20 (पुराना 19) की खसरा संख्या 109, 110, 143, 159, 214, 215, 216, 217, 368 कुल किता 09 की 4.0145 हेक्टेयर में प्रार्थीगणों के पिता का नाम '' किशना के स्थान पर किशनलाल '' दर्ज किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना